XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2953–दो/13

जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 179/95–96 में पारित आदेश दिनांक 11–09–02 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हे कि अनावेदक हरभजन द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य अनावेदकों के मध्य बटवारे की मांग की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई जो तहसीलदार ने आदेश दिनांक 22–7–96 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण आलोच्य भूमि के बटवारे से संबंधित है । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि प्रकरण में जो खसरे की प्रतियां हैं	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उसके अनुसार विवादित भूमि अनावेदक के सह स्वामित्व पर दर्ज है । आवेदक ने कब्जा होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की किंतु खसरे में उसका कॉलम नं0 12 में नहीं है और यदि तर्क के लिए कब्जा मान भी लिया जाये तब भी कब्जेदार को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं और वह बटवारे की मांग नहीं कर सकता है और इस आधार पर उन्होंने आवेदक की निगरानी को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि उनका आदेश उनका आदेश उचित न्यायिक और वैधानिक प्रकिया के अनुसार है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस हों । (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर	

अमरसिंह विरुद्ध हरभजन

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

दर्ज है ।
खसरे
मान
होते
पर
गें

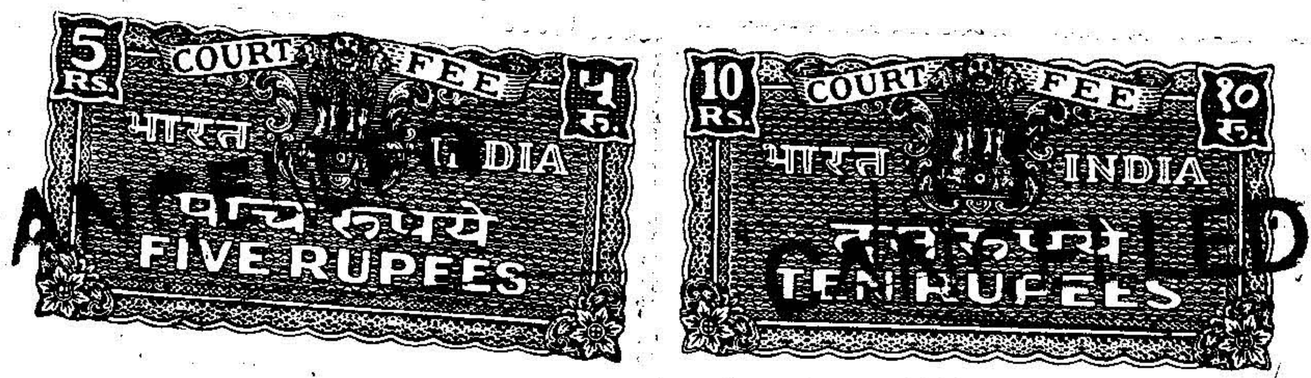

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
CANCELLED CANCELLED

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /02/निगरानी — 2953-II/2002

अमर सिंह पुत्र गोरेलाल
निवासी ग्राम नेत्याखेड़ी कृषक कोटरा
तह. चाचौड़ा जिला गुना (म.प्र.)
..आवेदक

विरुद्ध

1. हरभजन पुत्र बद्रीलाल
2. ओंकार पुत्र धीरया
मृत 3. पन्नालाल पुत्र गंगा राम नि.गण ग्राम कोटरा
तह. चाचौड़ा जिला गुना (म.प्र.)
..अनावेदकगण

आज दि. 26/12/02 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
26 DEC 2002

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्र.क्रं. 179/95-96 निग. में पारित आदेश दिनांक 11.9.02 के विरुद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रं. 52 रकबा 0.397 हे. एवं सर्वे क्रं.53 रकबा 1.651 हे. के बंटवारा हेतु अनावेदक क्रं.1 हरभजन द्वारा तह. न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया आवेदन पर कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा विवादित भूमि पर चार बीघा भूमि पर पूर्व भूमिस्वामी गोरधन के समय से काबिज होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की कि अनावेदकगण के साथ उसे भी पक्षकार बनाते हुये सम्मिलित रूप से बटवारा किया जाये, तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के आपत्ति निरस्त कर दी, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय ने भी निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है ।

3. यह कि, आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर नि